

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
(पीठा सीन अधिकारी लोक अदालत)
कैम्प कोर्ट-रुपाहेली

-:आदेश:-

प्रार्थीया के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी रुपाहेली व भू-अभिलेख निरीक्षक- रुपाहेली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हुरड़ा की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम- रुपाहेली तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रुपाहेली	51	घीसालाल पिता प्रेमा बैरवा	घीसालाल पिता पेमाराम बैरवा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।



(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी,
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा

क्रमांक :-सेवेकोर्ट/ 208/2018
प्रतिलिपि :-

दिनांक 23.05.2018

1. तहसीलदार हुरड़ा।
2. पटवारी रुपाहेली को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार इन्द्राज दुरुस्त करें।
3. प्रार्थी/ घीसालाल पिता पेमाराम बैरवा, निवासी रुपाहेली को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा